12.04.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है कि प्रार्थी का सही नाम राजपाल सिंह है तथा पाबुदान सिंह एवं राजपाल सिंह दो अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में सही नाम राजपाल सिंह ही दर्ज है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

निर्णय

प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सैनीपुरा पटवार हल्का बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 167, 230, 232, 233, 231 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम पाबूदान सिंह पुत्र रघुबीर सिंह के बजाय राजपाल सिंह पुत्र रघुबीर सिंह दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक **12.04.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner